खत्री और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(Khatri and Others

v.

State of Bihar and Others)

(19 दिसम्बर, 1980

और

14 जनवरी, 1981)

(न्यायाधिपति पी० एन० भगवती और ए० पी० सेन)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 19, 21 और 39-ए—पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए विचारणाधीन बन्दियों को अंधा बनाया जाना—राज्य द्वारा ऐसे अंधे बनाए गए विचारणाधीन बन्दियों की चिकित्सा को सुनिश्चित बनाए जाने के लिए उन्हें नई दिल्ली भेजे जाने का आदेश दिया जाना—यह आदेश उन बन्दियों के विषय में होना जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था—राज्य द्वारा यह निदेश भी दिया जाना कि प्रत्येक प्रतिप्रेषण के समय ऐसे विचारणाधीन बन्दियों को विधिक अभ्यावेदन करने की सुविधा प्रदान की जाए—सम्बद्ध जिला न्यायाधीश तथा प्रतिप्रेषण मजिस्ट्रेट को भी यह निदेश दिया जाना कि वे जानकारी दें कि वे निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं—चिकित्सा के लिए भेजे गए बन्दियों को नकद राशि सम्बन्धी संदाय के लिए आदेश।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 21—निर्धन अथवा कृपण अभियुक्त व्यक्तियों को जो कि वकील की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हों निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार होना—राज्य सांविधानिक दृष्टि से इस हेतु आबद्ध है कि वह ऐसी सहायता न केवल विचारण के प्रक्रम पर प्रदान करे बल्कि उस समय भी जब बन्दियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है अथवा उन्हें कारागार में प्रतिप्रेषित किया जाता है—ऐसे अधिकार से इस आधार

पर वित्तीय निर्बन्धनों अथवा प्रशासनिक असमर्थता से प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता और न ही इस आधार पर कि अभियुक्त ने इसकी मांग नहीं की थी—मजिस्ट्रेटों और सेशन न्यायाधीशों का यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसे अधिकार के बारे में अभियुक्तों को सूचित करें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)—धारा 57—गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने सम्बन्धी अपेक्षा का ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)—धारा 167—विचारणाधीन बन्दी को क्षति पहुंचाना—क्षतियों के प्रति निर्देश करते हुए पुलिस भारसाधक अधिकारी द्वारा अग्रेषण रिपोर्ट भेजी जाना—न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह कर्त्तव्य है कि वह इस विषय की खोज करे और यह उचित नहीं होगा कि वह यंत्रवत् प्रतिप्रेषण के आदेश पर हस्ताक्षर कर दे, भले ही क्षतिग्रस्त अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं पेश नहीं किया जाता है।

बिहार राज्य की विभिन्न जेलों में कुछ बंदियों को अंधा बना दिया गया। इन बन्दियों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल की। ये समस्त बन्दी विभिन्न अपराधों के लिए विचारणाधीन थे। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई की और अंधे बनाए गए बन्दियों के पक्ष में बिहार राज्य को कुछ निदेश दिए। उन निदेशों के पालन में किंचित् विलम्ब हुआ, अतः अंधे बनाए गए बन्दियों को रखने, उनका उपचार करने और उनका खर्चा वहन करने से सम्बन्धित समस्या पर दोबारा विचार किया गया। बिहार की जेलों में कुल 18 बन्दियों को अंधा बनाया गया था। इनमें से पन्द्रह बन्दियों की चिकित्सा राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली में चल रही थी, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें कुछ समय के लिए नेत्रहीन सहायता संगठन द्वारा चलाए जा रहे लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित आश्रम में रखा गया था, किन्तु उक्त संगठन ने उन्हें अपने पास रखने में अनिच्छा प्रकट की जिससे उन्हें अस्थायी रूप से क्राइस्ट चर्च हास्टल में रखा गया है। अब प्रश्न उनके भरण-पोषण और हास्टल के खर्चों के वहन का है कि इसका संदाय कौन करेगा? और इन अंधे बनाए गए बन्दियों के भविष्य का और उनके आश्रितों का क्या होगा? उनके द्वारा किए गए अपराधों के अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया क्या होगी? इन सभी प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा,

1980(12) eILR(PAT) SC 1

अभिनिर्धारित—इस न्यायालय ने हुसैनआरा खातून वाले मामले में जिसका विनिश्चय कुछ पूर्व 9 मार्च, 1979 को दिया गया था, इस बात के प्रति संकेत किया है कि मुफ्त विधिक सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए युक्तियुक्त, ऋजु और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है और अनुच्छेद 21 में दी गई प्रतिभूति में इसे अन्तर्विष्ट अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए और राज्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को विधिवेत्ता के उपलब्ध करने के लिए सांविधानिक समादेश के अधीन है, यदि मामले की परिस्थितियां और न्याय की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करें, परन्तु निश्चय ही अभियुक्त व्यक्ति ऐसे विधिवेत्ता के उपबन्ध के लिए कोई आक्षेप नहीं करता है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि इस न्यायालय ने विधिक सहायता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के न्यायिक अर्थान्वयन की प्रक्रिया द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है फिर भी देश में अधिकतर राज्यों ने इस विनिश्चय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं का उपबन्ध नहीं किया है। अनुच्छेद 141 में इस सांविधानिक घोषणा के बावजूद कि इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र पर आबद्ध होगी, अनेक राज्यों द्वारा देश के इस उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को नज़रअन्दाज़ करने के लिए खेद प्रकट करते हैं। राज्य की ओर से इस बारे में सहमति हो गई है कि इस न्यायालय के विनिश्चय की दृष्टि से देश के अन्दर के किसी अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य आबद्ध था किन्तु उसने यह सुझाव दिया कि राज्य को वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हम बिहार राज्य को यह बता सकते हैं कि वह वित्तीय अथवा प्रशासनिक असमर्थता का अभिवचन करके किसी गरीब अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने की अपनी सांविधानिक बाध्यता से बच नहीं सकता है। राज्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए जो गरीबी के कारण विधिक सेवाएं प्राप्त करने के अयोग्य है, और जो कुछ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, वह राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य की अपनी वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं और व्यय में उसकी अपनी पूर्विकताएं हो सकती हैं। किन्तु रेम बनाम मैत्काम में न्यायालय द्वारा जैसा संकेत किया गया है "विधि किसी सरकार को अपने नागरिकों को गरीबी का अभिवाक करके सांविधानिक अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं देती है" और जैकसन बनाम बिषप में न्यायाधीश ब्लैकमम के शब्द इस प्रकार हैं-

1980(12) eILR(PAT) SC 1

"मानवता के सिद्धान्त और सांविधानिक अपेक्षाओं को आज डालर के मूल्य से मापा नहीं जा सकता ।" किसी गरीब अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने की सांविधानिक बाध्यता केवल उस समय उत्पन्न नहीं होती है जब विचारण प्रारम्भ होता है अपितु उस समय भी जब अभियुक्त को पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है । यह उस समय प्रारम्भिक है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि उस स्तर पर उसे जमानत के लिए आवेदन करने का तथा अपनी निर्मुक्ति अभिप्राप्त करने का साथ ही पुलिस अथवा जेल अभिरक्षा में रिमाण्ड का विरोध करने का भी प्रथम अवसर मिलता है'। यह वह प्रक्रम है जिस पर अभियुक्त व्यक्ति को सक्षम विधिक सलाह तथा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रक्रिया को युक्तियुक्त ऋजु और न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है जो उस स्तर पर उसे विधिक सलाह और प्रतिनिधित्व से वंचित करे । राज्य किसी गरीब अभियुक्त को न केवल विचारण के प्रक्रम पर अपितु उस प्रक्रम पर भी जब उसे प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, और जब उसे समय-समय पर रिमाण्ड किया जाता है, मुफ्त विधिक सलाह उपलब्ध करने की सांविधानिक बाध्यता के अधीन है । (पैरा 4)

किन्तु मुफ्त विधिक सलाह का यह अधिकार भी किसी निर्धन अभियुक्त के लिए काल्पनिक हो जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश जिसके समक्ष उसे पेश किया जाता है, ऐसे अधिकार से उसे सूचित नहीं करता है । यह सामान्य ज्ञान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत लोग निरक्षर होते हैं और इससे भी अधिक प्रतिशत में विधि द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकार से ये अवगत नहीं होते हैं । विधिक जानकारी की इतनी कमी है कि इस देश में विधिक सहायता के प्रोग्राम की सदैव यह एक मुख्य बात समझी गई है कि विधिक साक्षरता को प्रोन्नति दी जाए । विधिक सहायता का यह मज़ाक उड़ाना होगा यदि उसे किसी गरीब, अनभिज्ञ और निरक्षर अभियुक्त से मुफ्त विधिक सहायता की मांग पर छोड़ दिया जाए । विधिक सहायता मात्र एक कागज पर किए जाने वाला वचन रह जाएगा और उसका प्रयोजन असफल हो जाएगा । मजिस्ट्रेट अथवा सेशन न्यायाधीश जिसके समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है, अभियुक्त को इस बात से सूचित करने की बाध्यता के अधीन समझा जाना चाहिए कि यदि वह गरीबी अथवा दरिद्रता के कारण कोई विधिक सेवा प्राप्त करने में असमर्थ है तो वह राज्य के खर्चे पर मुफ्त विधिक सेवा अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है । दुर्भाग्यवश न्यायिक

1980(12) eILR(PAT) SC 1

मजिस्ट्रेट, अंधे किए गए व्यक्तियों के मामले में इस बाध्यता का निर्वहन करने में असफल हो गया था और उन्होंने मात्र यह कथन किया था कि अंधे किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी विधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की गई थी और इसलिए वह किसी को उपलब्ध नहीं की गई थी। देश में मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश प्रत्येक अभियुक्त को जो उनके समक्ष उपस्थित होता है और जिसका अपनी गरीबी अथवा दरिद्रता के कारण किसी विधिवेत्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, उसे इस बात से सूचित करे कि वह राज्य के खर्चे पर मुफ्त विधिक सेवाओं के लिए हकदार है। जब तक कि वह राज्य द्वारा उपलब्ध मुफ्त विधिक सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इच्छुक न हो तब तक उसे राज्य के खर्चे पर विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध होना चाहिए। देश के प्रत्येक राज्य से किसी अभियुक्त को जो गरीबी, दरिद्रता अथवा जानकारी न होने की स्थिति के कारण किसी विधिवेत्ता की सहायता लेने में असमर्थ है, मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने का उपबन्ध करने के लिए देश के प्रत्येक अन्य राज्य से अपेक्षा है। एकमात्र अर्हता यह होगी कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध ऐसा है कि दोषसिद्ध किए जाने पर उसका परिणाम कारावास का दण्डादेश होगा और ऐसी प्रकृति का है कि मामले की परिस्थितियां और सामाजिक न्याय की आवश्यकताएं यह अपेक्षा करती हैं कि उसे मुफ्त विधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जैसे कि आर्थिक अपराध अथवा वेश्यावृत्ति का निषेध करने वाली विधि या बालकों का शोषण अथवा इसी प्रकार के अपराध, जहां सामाजिक न्याय यह अपेक्षा करेगा कि मुफ्त विधिक सेवाओं के राज्य द्वारा उपलब्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (पैरा 5)

अभिलेखों से दो अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं जिनके प्रति निर्देश करना आवश्यक है। प्रथम स्थान पर कुछ मामलों में अभियुक्त व्यक्ति जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22 में अपेक्षित है, अपनी गिरफ्तारी के 24 घण्टों के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इस अनियमितता के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय अभिव्यक्त करना उचित नहीं होगा जो प्रथमदृष्ट्या, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में हुई है। किन्तु राज्य पर तथा उसके पुलिस प्राधिकारियों पर इस बात को देखने के लिए बलपूर्वक जोर दिया जाएगा कि गिरफ्तारी के 24 घण्टों के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों को पेश करने की सांविधानिक और विधिक अपेक्षा का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेखों से हमारे समक्ष पेश की गई विशिष्टियों से यह भी स्पष्ट है कि कुछ

1980(12) eILR(PAT) SC 1

मामलों में, विशेषकर जो पटेल साहू रमण बिन्द, शालिगराम सिंह और कुछ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, उन्हें प्रथम बार पेश किए जाने के पश्चात् बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था और वे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी रिमाण्ड आदेशों के पारित किए बिना जेल में ही रहे थे। यह स्पष्ट रूप से विधि के विरुद्ध है। यह समझना कठिन है कि राज्य ने किस प्रकार इन अभियुक्त व्यक्तियों को किसी रिमाण्ड आदेश के बिना जेल में निरुद्ध रखा था। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि इस अनियमितता की इजाजत क्यों दी गई थी और यह देखेगी कि भविष्य में विधि के प्रशासकों द्वारा विधि का कोई ऐसा उल्लंघन किए जाने की अनुमति न दी जाए। रिमाण्ड के बिना निरोध का प्रतिषेध करने वाला उपबन्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है जो मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण पर रोक-टोक लगाने के लिए समर्थ करता है और यह इसलिए भी आवश्यक है कि मजिस्ट्रेटों को इस अपेक्षा को प्रभावी करने का प्रयत्न करना चाहिए और जहां उसकी अवज्ञा की गई पाई जाती है वहां इसका भार पूर्ण रूप से पुलिस पर होता है। (पैरा 6)

अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि एक अंधे किए गए बन्दी ने जिसका नाम उमेश यादव था, जिला और सेशन न्यायाधीश, भागलपुर को 30 जुलाई, 1980 को यह परिवाद करते हुए एक पिटीशन भेजा था कि उसे पुलिस के जिला अधीक्षक, श्री बी० के० शर्मा द्वारा अन्धा किया गया था और चूंकि उसके पास इस पुलिस अधिकारी को अभियोजित करने के लिए कोई धन नहीं था, इसलिए उसे सरकार के खर्चे पर विधिवेत्ता उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि वह पुलिस के अत्याचारों को न्यायालय के समक्ष लाने और न्याय मांगने के समर्थ हो सके। 10 अन्य अन्धे बन्दियों ने भी इसी प्रकार के पिटीशन किए थे और ये समस्त पिटीशन जिला और सेशन न्यायाधीश को 30 जुलाई को भेज दिए गए थे। जिला और सेशन न्यायाधीश ने अपने तारीख 15 अगस्त, 1980 वाले पत्र द्वारा भागलपुर केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को संबोधित करते हुए यह कथन किया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन अन्धे किए गए बन्दियों को जिन्होंने उसे पिटीशन किया है, विधिक सहायता दी जा सके और यह कि उसने उनके पिटीशनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवश्यक कार्रवाई किए जाने को भेजा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी मामले में कुछ करने के लिए अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की थी। यह प्रतीत होता है कि भागलपुर के केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक ने भी इन अन्धे किए गए व्यक्तियों के पिटीशन पटना कारागार के

1980(12) eILR(PAT) SC 1

महानिरीक्षक को 30 जुलाई, 1980 को इस निवेदन के साथ भेजे थे कि इस मामले पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। कारागार के महानिरीक्षक ने इन पिटीशनों को गृह विभाग को भेज दिया था। कारागार के महानिरीक्षक ने तीन अन्धे किए गए व्यक्तियों को 9 सितम्बर, 1980 को जब उसने बांका जेल का निरीक्षण किया था, यह भी सूचित किया था कि उन्हें पुलिस द्वारा अन्धा किया गया है और कारागार के महानिरीक्षक ने अपने निरीक्षण टिप्पण में यह मत अभिव्यक्त किया था कि मामले को सरकार के समक्ष रखना आवश्यक है जिससे कि पुलिस के अत्याचारों को रोका जा सके। इन तथ्यों से बहुत ही खराब हालत सामने आती है। 30 जुलाई, 1980 के पश्चात् कुछ दिन के भीतर गृह मंत्रालय को कारागारों के महानिरीक्षक से यह जानकारी मिली थी कि अन्धे किए गए बन्दियों के अनुसार जिन्होंने पिटीशन भेजे थे, उन्हें पुलिस द्वारा अन्धा किया गया था और पुलिस के महानिरीक्षक के निरीक्षण टिप्पण से यह उपधारणा करना युक्तियुक्त प्रतीत होगा कि उसे मामले को सरकार के समक्ष लाना चाहिए था। कारागारों के महानिरीक्षक से यह जानना चाहिए कि वह कौन-सा व्यक्ति था अथवा राज्य सरकार का वह कौन-सा विभाग था जिसके समक्ष वह इस मामले को लाया था और कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा भेजे गए अन्धे बन्दियों के पिटीशनों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने कौन-से कदम उठाए थे। साथ ही साथ, कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा मामले को उनके विचार के लिए लाए जाने पर क्या किया गया था, जैसा कि अपने निरीक्षण टिप्पण में उसने अपना मत अभिव्यक्त किया है। (पैरा 8)

अवलम्बित निर्णय

		पैरा
[1979]	[1979] 3 एस० सी० आर० 532 : हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव (Hussainara Khatoon *v.* Home Secretary);	4,
	377 एफ० सप्लीमेंट 995 : रेम बनाम मैल्कॉन (Rhem *v.* Malcolm);	4
	404 एफ० सप्लीमेंट सेकेण्ड 571 : जैक्सन बनाम बिशप (Jackson *v.* Bishop).	4

1980(12) eILR(PAT) SC 1

मूल अधिकारिता : 1980 का रिट पिटीशन सं० 5670.

(संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन)

पिटीशनर की ओर से — श्रीमती के० हिंगोरानी और कुमारी रेखा तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री के० जी० भगत और डी० गोवर्धन

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति पी० एन० भगवती ने दिया।

न्यायाधिपति भगवती—

यह मामला बिहार राज्य पर नोटिस के तामील किए जाने के पश्चात् हमारे समक्ष आया है। जब 2 दिसम्बर, 1980 को हमने इस मामले पर सुनवाई आरम्भ की तो हमने इस बात पर अपनी नाराजगी अभिव्यक्त की कि बिहार राज्य नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं हुआ था किन्तु यह नाराजगी हमारे द्वारा इस उपधारणा पर अभिव्यक्त की गई थी कि नोटिस की तामील बिहार राज्य पर की गई थी। किन्तु, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री के० जी० भगत द्वारा हमें सूचित किया गया है कि रिट पिटीशन की सूचना की तामील राज्य सरकार पर 6 दिसम्बर, 1980 को की गई थी और यही कारण है कि राज्य सरकार के लिए 2 दिसम्बर, 1980 को हमारे समक्ष उपस्थित होना सम्भव नहीं हो पाया था। हम श्री के० जी० भगत द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हैं और बिहार राज्य को 2 दिसम्बर, 1980 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के लिए भारमुक्त करते हैं।

2. राज्य ने हमारे समक्ष राज्य सरकार के गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव, तारकेश्वर प्रसाद द्वारा शपथित प्रतिशपथ-पत्र पेश किया है जिसमें तारीख 2 दिसम्बर, 1980 को दिए गए हमारे आदेश द्वारा अपेक्षित विभिन्न विशिष्टयां पेश की गई हैं। हमारे समक्ष राज्य सरकार की ओर से भागलपुर केन्द्रीय कारागार के सहायक जेलर, जितेन्द्र नारायण सिंह द्वारा फाइल किया गया प्रति शपथ-पत्र भी है और इस शपथ-पत्र में हमारे द्वारा अपेक्षित कतिपय अन्य विशिष्टियां दी गई हैं। राज्य ने इन विशिष्टियों के अतिरिक्त अन्धे किए गए बन्दियों के सम्बन्ध में विभिन्न विशिष्टियां देते हुए कथन फाइल किए हैं जो उनके मामलों के सम्बन्ध में विचार करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेखों से लिए गए हैं। जिला और सेशन न्यायाधीश ने भी इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह कथन करते हुए

1980(12) eILR(PAT) SC 1

एक पत्र लिखा है कि उसके पत्र में दिए गए कारणों से भागलपुर केन्द्रीय जेल का कोई निरीक्षण वर्ष 1980 में जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया था। रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने अन्धे किए गए बन्दियों और भागलपुर सैन्ट्रल जेल के पूर्ववर्ती अधीक्षक, बी० एल० दास के कथनों की प्रतियां भी पेश की हैं जो उसके द्वारा इस न्यायालय के 1 दिसम्बर, 1980 के आदेश के अनुसरण में अभिलिखित किए गए थे। इन दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों के आधार पर, हमारे समक्ष पूर्ण और विस्तृत तर्क दिए गए हैं परन्तु इस प्रक्रम पर हम प्रत्येक अन्धे किए गए बन्दी के सम्बन्ध में तर्क देने की प्रस्थापना करते हैं और हम प्रत्येक विशिष्ट अन्धे किए गए बन्दी के सम्बन्ध में दिए गए तर्कों को छोड़कर जिन पर बाद में किसी प्रक्रम पर विचार किया जाएगा जब रिट पिटीशन फिर से सुनवाई के लिए आयेगा, अपने समक्ष पेश की गई विशेष बातों की जांच करेंगे।

2क. इससे पूर्व कि हम पक्षकारों की ओर से दी गई उन मुख्य बातों पर विचार करें जिन पर हमारे समक्ष जोर दिया गया है, हमें एक मुख्य प्रश्न का निपटारा कर देना चाहिए जिससे अधिक कठिन समस्या पैदा होती है और उसका समाधान हमें किंचित् शीघ्रता से करना चाहिए। यह समस्या कोई विधिक समस्या नहीं है जैसी कि मानवता की है और यह इस कारण उद्भूत हुई है कि अन्धे किए गए बन्दी जिनका राजेन्द्र प्रसाद ऑपथैलिमक इंस्टीट्यूट में उपचार हो रहा है, उनके वहां से उन्मुक्त किए जाने की संभावना है क्योंकि उनकी नेत्रशक्ति को इतना ज्यादा नष्ट कर दिया गया है कि उसे वापस लाना किसी भी चिकित्सीय अथवा शल्य चिकित्सीय उपचार द्वारा संभव नहीं है और प्रश्न यह है कि वे कहां जा सकते हैं। अन्धे किए गए बन्दियों की ओर से श्रीमती हिंगोरानी द्वारा यह आशंका अभिव्यक्त की गई थी कि उनके लिए भागलपुर जाना सुरक्षित नहीं हो सकता, विशेषकर जब अन्धा किए जाने के अपराध में अन्वेषण अभी किया जा रहा है और इसलिए उनके लिए राज्य के खर्चे पर नई दिल्ली में रहने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। हम इस बात का निश्चित रूप से कोई कथन नहीं कर सकते हैं कि श्रीमती हिंगोरानी द्वारा अभिव्यक्त की गई आशंका पूर्ण रूप से आधार रहित है और न ही हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान प्रक्रम पर यह न्यायोचित है, किन्तु हमारी यह भावना है कि कम से कम सुनवाई की अगली तारीख तक, अन्धे किए गए बन्दियों को भागलपुर वापस न भेजना उचित होगा। अतएव हम यह सुझाव देंगे कि अन्धे किए गए बन्दियों को जिन्हें राजेन्द्र प्रसाद आपथैल्मिक इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली से उन्मुक्त किया गया है, ऐसे गृह में रखा

जाना चाहिए जो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली में दिल्ली के नेत्रहीन अनुतोष संगम (ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ दिल्ली) द्वारा चलाया जा रहा है और बिहार राज्य को उस गृह में उनके रहने और खाने-पीने का खर्च वहन करना चाहिए। हम यह आशा और विश्वास करते हैं और वस्तुत: जोर देकर यह सुझाव देते हैं कि दिल्ली का नेत्रहीन अनुतोष संगम अपने द्वारा चलाए जाने वाले गृह में इन नेत्रहीन बन्दियों को स्वीकार करेगा और पिटीशन की अगली सुनवाई की तारीख तक, उनकी देख रेख करेगा। बिहार राज्य, अग्रिम धन के रूप में या अन्यथा रख-रखाव के लिए ऐसे गृहों में किए गए अन्धे बन्दियों के खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करेगा जो अपेक्षित हों।

3. अन्धे किए गए बन्दियों की ओर से श्रीमती हिंगोरानी द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न यह था कि क्या राज्य अन्धे किए गए बन्दियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उनके मूल अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन है। उन्होंने यह दलील दी कि अन्धे किए गए बन्दी पुलिस अधिकारियों द्वारा जो राज्य की ओर से कार्य करने वाले सरकारी सेवक थे, अपनी आंखों की रोशनी से वंचित किए गए थे क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के अधीन सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन था इसलिए राज्य, अन्धे किए गए बन्दियों को प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से अन्यथा उन व्यक्तियों को जिन्हें अपने जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, प्रतिकर का दायित्व, श्रीमती हिंगोरानी के अनुसार, अनुच्छेद 21 में अन्तर्विष्ट है। तथापि राज्य की ओर से श्री के० जी० भगत ने यह दलील दी कि अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि बन्दियों को पुलिस द्वारा अन्धा किया गया था और जांच की जा रही है और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि यद्यपि अन्धा पुलिस द्वारा किया गया था और अनुच्छेद 21 में अन्तर्विष्ट सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था, फिर भी राज्य को उन व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने के दायित्वाधीन अभिनिर्धारित न ही किया जा सकता था। इन विरोधी तर्कों से इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त सांविधानिक महत्व का प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए किसी न्यायालय को क्या अनुतोष देना चाहिए। न्यायालय निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करने से राज्य को व्यादिष्ट कर सकता है सिवाय उस दशा के जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा किया गया हो किन्तु यदि जीवन अथवा वैयक्तिक स्वतन्त्रता का यदि ऐसी प्रक्रिया के अनुसार

1980(12) eILR(PAT) SC 1

से अन्यथा उल्लंघन किया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार वंचित किया गया है, कोई अनुदान देने में असमर्थ है। न्यायालय को जीवन और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के मूल्यवान मूल अधिकारों में से अत्यन्त मूल्यवान अधिकार की रक्षा करने के प्रयोजनार्थ नये रास्ते क्यों नहीं निकालने चाहिएं और नवीन उपचार क्यों नहीं खोजना चाहिए। श्रीमती हिंगोरानी की दलील पर हमारे समक्ष ये विवाद्यक उठाए गए थे और हमारी राय में ये अत्यन्त सांविधानिक महत्व के विवाद्यक हैं जिनमें जीवन और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार के एक नवीन विस्तार की खोज करना अन्तर्वलित है। अतएव हमने पत्रकारों की ओर से उपस्थित होने वाले काउन्सेल को सूचित कर दिया है कि हम इन विवाद्यकों पर विस्तृत तर्कों की सुनवाई रिट पिटीशन की अगली सुनवाई में करेंगे और अनुच्छेद 21 के सांविधानिक अधिकार की ठीक-ठीक उपयोगिताओं को परिवर्तनशील सांविधानिक न्याय-शास्त्र की रोशनी में अधिकथित कर रहे हैं जो हम इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं।

4. इसके पश्चात् हम एक और महत्वपूर्ण विवाद्यक पर जो इस मामले में उठा है, विचार करेंगे। अन्धे किए गए बन्दियों के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अभिलेखों से समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि न तो उस समय जब अन्धे बन्दियों को पहली बार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया था और न ही उस समय जब रिमाण्ड आदेश पारित किए गए थे, अन्धे किए गए बन्दियों में से अधिकतर को कोई विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेखों से यह दर्शित होता है कि अन्धे किए गए बन्दियों के लिए किसी विधिक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध नहीं किया गया था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी न तो इसकी मांग की थी और न ही न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसके समक्ष पेश किए गए अन्धे बन्दियों से न तो प्रारम्भ में अथवा रिमाण्ड के समय इस बात की पूछताछ की थी कि वे राज्य के खर्चे पर कोई विधिक प्रतिनिधि चाहते हैं या नहीं। अन्धे बन्दियों को राज्य के खर्चे पर कोई विधिक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध न करने के लिए केवल यह बहाना किया गया था कि अन्धे किए गए बन्दियों में से किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। परिणाम यह हुआ था कि 2 या 3 अन्धे किए गए बन्दियों को छोड़कर जिन्होंने रिमाण्ड के पश्चात्वर्ती प्रक्रम में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिवेत्ता का प्रबन्ध कर लिया था, अन्धे किए गए बन्दियों में से अधिकतर का प्रतिनिधित्व किसी विधिवेत्ता द्वारा नहीं किया गया था और उनमें से कुछ को छोड़कर जिनको जमानत पर निर्मुक्त कर

1980(12) eILR(PAT) SC 1

दिया गया था और वह भी पर्याप्त समय तक जेल में रहने के पश्चात् उनमें से बाकी लोग जेल में ही रहे थे। यह समझना कठिन है कि किस तरह से इस मामले की ऐसी स्थिति को हुसैनआरा खातून[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के बावजूद, बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। इस न्यायालय ने हुसैनआरा खातून वाले (पूर्वोक्त) मामले में जिसका विनिश्चय कुछ पूर्व 9 मार्च, 1979 में किया गया था, इस बात के प्रति संकेत किया है कि मुफ्त विधिक सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए युक्तियुक्त, ऋजु और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है और अनुच्छेद 21 में दी गई प्रतिभूति में इसे अन्तर्विष्ट अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए और राज्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को विधिवेत्ता के उपलब्ध करने के लिए सांविधानिक समादेश के अधीन है, यदि मामले की परिस्थितियों और न्याय की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करें, परन्तु निश्चय ही अभियुक्त व्यक्ति ऐसे विधिवेत्ता के उपबन्ध के लिए कोई आक्षेप नहीं करता है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि इस न्यायालय ने विधिक सहायता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के न्यायिक अर्थान्वयन की प्रक्रिया द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है फिर भी देश में अधिकतर राज्यों ने इस विनिश्चय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं का उपबन्ध नहीं किया है। हम अनुच्छेद 141 में इस सांविधानिक घोषणा के बावजूद कि इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र पर आबद्ध होगी, अनेक राज्यों द्वारा देश के इस उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को नजरअन्दाज करने के लिए खेद प्रकट करते हैं। राज्य की ओर से श्री के० जी० भगत इस बात से सहमत हो गए हैं कि इस न्यायालय के विनिश्चय की दृष्टि से देश के अन्दर के किसी अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य आबद्ध था किन्तु उसने यह सुझाव दिया कि राज्य को वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हम बिहार राज्य को यह बता सकते हैं कि वह वित्तीय अथवा प्रशासनिक असमर्थता का अभिवचन करके किसी गरीब अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने की अपनी सांविधानिक बाध्यता से बच नहीं सकता है। राज्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए जो गरीबी के कारण विधिक सेवाएं प्राप्त करने के आयोग्य है, और जो कुछ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

[1] [1979] 3 एस० सी० आर० 532.

वह राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य की अपनी वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं और व्यय में उसकी अपनी पूर्विकताएं हो सकती हैं किन्तु रेम बनाम मालकम[1] में न्यायालय द्वारा जैसा संकेत किया गया है "विधि किसी सरकार को अपने नागरिकों को गरीबी का अभिवाक् करके सांविधानिक अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं देती है" और जैक्सन बनाम बिशप[2] में न्यायाधीश ब्लैकमम के शब्द इस प्रकार हैं—"मानवता के सिद्धान्त और सांविधानिक अपेक्षाओं को आज डालर के मूल्य से मापा नहीं जा सकता।" इसके अतिरिक्त किसी गरीब अभियुक्त को मुफ्त विधिक सेवाएं उपलब्ध करने की सांविधानिक बाध्यता केवल उस समय उत्पन्न नहीं होती है, जब विचारण प्रारम्भ होता है अपितु उस समय भी है जब अभियुक्त को पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। यह उस समय प्रारम्भिक है जब किसी व्यक्ति को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि उस स्तर पर उसे जमानत के लिए आवेदन करने का तथा अपनी निर्मुक्ति अभिप्राप्त करने का साथ ही पुलिस जेल अभिरक्षा में रिमाण्ड का विरोध करने का भी प्रथम अवसर मिलता है। यह वह प्रक्रम है जिस पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को सक्षम विधिक सलाह तथा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रक्रिया को युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है जो उस स्तर पर उसे विधिक सलाह और प्रतिनिधित्व से वंचित करे। अतएव हमें यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि राज्य किसी गरीब अभियुक्त को न केवल विचारण के प्रक्रम पर अपितु उस प्रक्रम पर भी जब उसे प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, साथ ही साथ जब उसे समय-समय पर रिमाण्ड किया जाता है, मुक्त विधिक सलाह उपलब्ध करने की सांविधानिक बाध्यता के अधीन है।

5. किन्तु मुफ्त विधिक सलाह का यह अधिकार भी किसी निर्धन अभियुक्त के लिए काल्पनिक हो जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट या सैशन न्यायाधीश जिसके समक्ष उसे पेश किया जाता है, ऐसे अधिकार से उसे सूचित नहीं करता है। यह सामान्य ज्ञान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत लोग निरक्षर होते हैं और इससे भी अधिक प्रतिशत में लोग विधि द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकार से अवगत नहीं होते हैं। विधिक जानकारी की इतनी कमी है कि इस देश में विधिक सहायता के प्रोग्राम की सदैव यह एक मुख्य बात समझी

[1] 377 एफ० सप्लीमेंट 995.

[2] 404 एफ० सप्लीमेंट सेकेंड 571.

गई है कि विधिक साक्षरता को प्रोन्नति दी जाए। विधिक सहायता का यह मजाक उड़ाना होगा यदि उसे किसी गरीब अनभिज्ञ और निरक्षर अभियुक्त से मुफ्त विधिक सहायता की मांग पर छोड़ दिया जाए। विधिक सहायता मात्र एक कागज पर किए जाने वाला वचन रह जाएगा और उसका प्रयोजन असफल हो जाएगा। मजिस्ट्रेट अथवा सैशन न्यायाधीश जिसके समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है, उसे अभियुक्त को इस बात से सूचित करने की बाध्यता के अधीन समझा जाना चाहिए कि यदि वह गरीबी अथवा दरिद्रता के कारण कोई विधिक सेवा प्राप्त करने में असमर्थ है तो वह राज्य के खर्चे पर मुफ्त विधिक सेवा अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है। दुर्भाग्यवश न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्धे किए गए व्यक्तियों के मामले में इस बाध्यता का निर्वहन करने में असफल हो गया था उन्होंने मात्र यह कथन किया था कि अन्धे किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी विधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की गई थी और इसलिए वह किसी को उपलब्ध नहीं की गई थी। अतएव हम यह निदेश देंगे कि देश में मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश प्रत्येक अभियुक्त को जो उनके समक्ष उपस्थित होता है और जिसका अपनी गरीबी अथवा दरिद्रता के कारण किसी विधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, उसे इस बात से सूचित करे कि वह राज्य के खर्चे पर मुफ्त विधिक सेवाओं के लिए हकदार है। जब तक कि वह राज्य द्वारा उपलब्ध मुफ्त विधिक सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इच्छुक न हो तब तक उसे राज्य के खर्चे पर विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध होना चाहिए। हम बिहार राज्य को यह भी निदेश देंगे और देश के प्रत्येक अन्य राज्य से किसी अभियुक्त को जो गरीबी, दरिद्रता अथवा जानकारी न होने की स्थिति के कारण किसी विधिवेत्ता की सहायता लेने में असमर्थ है, मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने का उपबन्ध करने के लिए देश के प्रत्येक अन्य राज्य से अपेक्षा करेंगे। एकमात्र अर्हता यह होगी कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध ऐसा है कि दोषसिद्ध किए जाने पर उसका परिणाम कारावास का दण्डादेश होगा और ऐसी प्रकृति का है कि मामले की परिस्थितियां और सामाजिक न्याय की आवश्यकताएं यह अपेक्षा करती हैं कि उसे मुफ्त विधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जैसे कि आर्थिक अपराध अथवा वेश्यावृत्ति का निषेध करने वाली विधि या बालकों का शोषण अथवा इसी प्रकार के अपराध, जहां सामाजिक न्याय यह अपेक्षा करेगा कि मुफ्त विधिक सेवाओं के राज्य द्वारा उपलब्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. अभिलेखों से दो अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं जिनके प्रति हमारी राय में निदेश करना आवश्यक है। प्रथम स्थान पर कुछ मामलों में

अभियुक्त व्यक्ति जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22 में अपेक्षित है, अपनी गिरफ्तारी के 24 घन्टों के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। हम इस अनियमितता के संबंध में कोई निश्चित राय अभिव्यक्त करना नहीं चाहते हैं जो प्रथमदृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में हुई है। किन्तु हम बलपूर्वक राज्य पर तथा उसके पुलिस प्राधिकारियों पर इस बात को देखने के लिए बलपूर्वक जोर देंगे कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों को पेश करने की सांविधानिक और विधिक अपेक्षा का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेखों से हमारे समक्ष पेश की गई विशिष्टियों से यह भी स्पष्ट है कि कुछ मामलों में, विशेषकर जो पटेल साहू, रमण विन्द, शालिगराम सिंह और कुछ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित हैं, उन्हें प्रथम बार पेश किए जाने के पश्चात् बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था और वे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी रिमाण्ड आदेशों के पारित किए बिना जेल में ही रहे थे। यह स्पष्ट रूप से विधि के विरुद्ध है। यह समझना कठिन है कि राज्य ने किस प्रकार इन अभियुक्त व्यक्तियों को किसी रिमाण्ड आदेश के बिना जेल में निरुद्ध रखा था। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि इस अनियमितता की इजाजत क्यों दी गई थी और यह देखेंगी कि भविष्य में विधि के प्रशासकों द्वारा विधि का कोई ऐसा उल्लंघन किए जाने की अनुमति न दी जाए। रिमाण्ड के बिना निरोध का प्रतिषेध करने वाला उपबन्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है जो मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण पर रोक-टोक लगाने के लिए समर्थ करता है और यह इसलिए भी आवश्यक है कि मजिस्ट्रेटों को इस अपेक्षा को प्रभावी करने का प्रयत्न करना चाहिए और जहां उसकी अवज्ञा की गई पाई जाती है वहां इसका भार पूर्ण रूप से पुलिस पर होता है।

7. हम अन्धे किए गए व्यक्तियों से जब उन्हें प्रथम बार न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किया गया था और तत्पश्चात् समय-समय पर रिमाण्ड के प्रयोजनार्थ पेश किया गया था, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा इस बात की पूछताछ न करने पर और अपनी जिम्मेदारी का अहसास न करने पर असंतोष अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर हैं कि किस प्रकार उनके नेत्रों को क्षतिग्रस्त किया गया था। यह सत्य है कि अधिकतर अन्धे किए गए व्यक्तियों ने रजिस्टार के समक्ष अपने कथनों में कहा है कि उन्हें वस्तुतः किसी भी समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था किन्तु हम इस निमित्त अतिरिक्त जांच के बिना अन्धे किए गए अभियुक्तों के एकपक्षीय कथन को

स्वीकार नहीं कर सकते। उनके कथन सत्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं; यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि लगभग सभी अन्धे किए गए बन्दियों के मामले में भार-साधक पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई अग्रिम रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त को क्षतियां पहुंची थीं और फिर भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने इस बात को जानने की चेष्टा नहीं की थी कि किस प्रकार यह क्षतियां कारित की गई थीं। इससे केवल दो अनुमान निकल सकते हैं; या तो अन्धे किए गए बन्दियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने इसके बिना ही रिमाण्ड आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए थे अथवा यह कि उन्होंने इस बात को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया था यद्यपि उन्होंने यह पाया था कि उनके समक्ष आने वाले बन्दियों की आंखों में क्षतियां लगी थीं। यह बात भी खेदजनक है कि केन्द्रीय जेल, भागलपुर का कोई निरीक्षक जिला अथवा सैशन न्यायाधीश द्वारा किसी भी समय वर्ष 1980 में नहीं किया गया था। हम यह निवेदन करेंगे कि उच्च न्यायालय इन मामलों पर पूर्ण रूप से विचार करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि न्यायिक अधिकारियों की ओर से ऐसी उपेक्षाएं भविष्य में फिर से नहीं होंगी।

8. इससे पूर्व कि हम इसे समाप्त करें, एक और मामले के प्रति संकेत करना भी चाहेंगे और वह कुछ अधिक गम्भीर मामला है। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि एक अन्धे किए गए बन्दी ने जिसका नाम उमेश यादव था, जिला और सैशन न्यायाधीश, भागलपुर को 30 जुलाई, 1980 को यह परि-वाद करते हुए एक पिटीशन भेजा था कि उसे पुलिस के जिला अधीक्षक, श्री वी० के० शर्मा द्वारा अन्धा किया गया था और चूंकि उसके पास इस पुलिस अधिकारी को अभियोजित करने के लिए कोई धन नहीं था, इसलिए उसे सरकार के खर्चे पर विधिवेता उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि वह पुलिस के अत्याचारों को न्यायालय के समक्ष लाने और न्याय मांगने के समर्थ हो सके। 10 अन्य अन्धे बन्दियों ने भी इसी प्रकार के पिटीशन किए थे और ये समस्त पिटीशन जिला और सैशन न्यायाधीश को 30 जुलाई को भेज दिए गए थे। जिला और सैशन न्यायाधीश ने अपने तारीख 15 अगस्त, 1980 वाले पत्र द्वारा भागलपुर केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को संबोधित करते हुए यह कथन किया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन अन्धे किए गए बन्दियों को जिन्होंने उसे पिटीशन किया है, विधिक सहायता दी जा सके और यह कि उसने उनके पिटीशनरों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए भेजा था। मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी मामले में कुछ करने के लिए अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की थी। यह प्रतीत होता है कि भागलपुर के केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक ने भी इन अन्धे किए गए व्यक्तियों के पिटीशन पटना कारागार के महानिरीक्षक को 30 जुलाई, 1980 को इस निवेदन के साथ भेजे थे कि इस मामले पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। कारागार के महानिरीक्षक ने इन पिटीशनों को गृह विभाग को भेज दिया था। कारागार के महानिरीक्षक ने तीन अन्धे किये गये व्यक्तियों को 9 सितम्बर, 1980 को जब उसने बांका जेल का निरीक्षण किया था, यह भी सूचित किया था कि उन्हें पुलिस द्वारा अन्धा किया गया है और कारागार के महानिरीक्षक ने अपने निरीक्षण टिप्पण में यह मत अभिव्यक्त किया था कि मामले को सरकार के समक्ष रखना आवश्यक है जिससे कि पुलिस के अत्याचारों को रोका जा सके। इन तथ्यों से बहुत ही खराब हालत सामने आती है। पहले तो हम इस बात में विश्वास करना कठिन पाते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिस जिला और सैशन न्यायाधीश द्वारा इन अन्धे किये गये बन्दियों के पिटीशन भेजे गये थे, उन पिटीशनों में अन्तर्विष्ट परिवादों पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी और या तो इन पिटीशनों से सामने आने वाले अपराध का संज्ञान किया जाता अथवा उच्चतर पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण किए जाने का आदेश दिया जाता। इन पिटीशनों से सामने आने वाली सूचना से बड़े गम्भीर अपराध प्रकट होते हैं जिनके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि वह पुलिस द्वारा किए गए हैं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन पिटीशनों को उदासीनता से नज़रअन्दाज़ नहीं कर देना चाहिये और मामले में कुछ करने में अपनी अयोग्यता अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिये। किन्तु इसके अलावा एक बात निश्चित है कि 30 जुलाई, 1980 के पश्चात् कुछ दिन के भीतर यह मंत्रालय को कारागारों के महानिरीक्षक से यह जानकारी मिली थी कि अन्धे किए गए बन्दियों के अनुसार जिन्होंने अपने पिटीशन भेजे थे, उन्हें पुलिस द्वारा अन्धा किया गया था और पुलिस के महानिरीक्षक के निरीक्षण टिप्पण से यह उपधारणा करना युक्तियुक्त प्रतीत होगा कि उसे मामले को सरकार के समक्ष लाना चाहिए था। कारागारों के महानिरीक्षक से हमें यह जानना चाहिए कि वह कौन-सा व्यक्ति था अथवा राज्य सरकार का वह कौन-सा विभाग था जिसके समक्ष में वह यह मामला लाया गया था और कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा भेजे गए अन्धे बन्दियों के पिटीशनों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने कौन-से कदम उठाए थे। साथ ही साथ कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा मामले को उनके विचार के लिए लाए जाने पर क्या किया गया था, जैसा कि

अपने निरीक्षक टिप्पण में उसने अपना मत अभिव्यक्त किया है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप से हमें यह सूचित करे कि उन्होंने 30 जुलाई, 1980 के पश्चात् दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाने और ऐसे अत्याचारों को आगे होने से रोकने के लिए कौन-से कदम उठाए थे। हम यह सूचना इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना यह समाधान करना चाहते हैं कि अक्तूबर, 1980 में अन्धे बनाए जाने की जो घटना घटी थी, कारागारों के महानिरीक्षक से अन्धे बनाए गए बन्दियों के परिवाद के संबंध में सूचना के प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही करके राज्य सरकार द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है या नहीं। हम राज्य सरकार को रिट पिटीशनों की अगली सुनवाई से पूर्व इस निमित्त पूर्ण और विस्तृत विशिष्टियां हमारे समक्ष पेश करने के लिए निदेश देते हैं।

9. रिट पिटीशनों पर अब 6 जनवरी, 1981 को फिर सुनवाई होगी।

(तारीख 14-1-1981 वाला आदेश)

न्यायाधिपति भगवती—

10. यह मामला दोबारा हमारे समक्ष आया है और इसमें मुख्य प्रश्न जिस पर बहस की जा चुकी है, यह है कि हमारे द्वारा पहले तारीख 19 दिसम्बर, 1980 को किए गए आदेश में जो कुछ निदेश दिए गए थे, उनका पालन बिहार सरकार ने कर दिया है या नहीं। इस समय हम इस बात की जांच करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा इन निदेशों का पालन किस प्रकार और किस सीमा तक किया गया है। किन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें उस समस्या का निदान करना होगा जो नेत्रहीन सहायता संगठन, दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे लालबहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली स्थित आश्रम में अन्धे किए गए कैदियों को रखने में अनिच्छा प्रकट करने के कारण उत्पन्न हुई है। हमने 19 दिसम्बर, 1980 के अपने आदेश में यह सुझाव दिया था कि जिन अन्धे किए गए कैदियों को राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली से छुट्टी दी गई है उन्हें नेत्रहीन सहायता संगठन, दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे आश्रम में रखा जाए। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रहीन सहायता संगठन, दिल्ली ने अपने द्वारा संचालित आश्रम में उन्हें रखने के प्रति अनिच्छा प्रकट की है। पिटीशनरों की ओर से उनकी काउन्सेल श्रीमती हिंगोरानी ने हमें यह बताया है कि इसके परिणामस्वरूप ऐसे 15 अन्धे किए गए कैदियों को जिन्हें राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान से छुट्टी दी गई है, अस्थायी तौर पर क्राइस्ट चर्च होस्टल में रखा गया है, जब कि अभी 3 अन्य अन्धे किए गए कैदियों की चिकित्सा राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान में हो रही है। अब प्रश्न यह है कि इन 15 अन्धे किए गए कैदियों और 3 अन्य अन्धे किए गए कैदियों को

1980(12) eILR(PAT) S

जिनके छोड़े जाने की सम्भावना है छोड़े जाने पर उनके रहने और खाने-पीने का खर्च किस प्रकार वहन किया जाएगा और क्राइस्ट चर्च होस्टल के खर्चों का संदाय कौन करेगा। हम नहीं समझते कि यह प्रश्न हमारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है क्योंकि 19 दिसम्बर, 1980 के अपने आदेश में ही हमने यह निदेश दे दिया है कि राज्य अग्रिम के रूप में या अन्यथा जैसी आवश्यकता हो, अन्धे किए गए कैदियों को नेत्रहीन सहायता संगठन, दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे आश्रम में रखने से सम्बन्धित लागत प्रभार और खर्चों का संदाय करेगा और चूंकि अन्धे किए गए कैदियों को अब नेत्रहीन सहायता संगठन, दिल्ली द्वारा संचालित आश्रम के बजाय क्राइस्ट चर्च होस्टल में रखा जा रहा है इसलिए यह बहुत निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा कि क्राइस्ट चर्च होस्टल में रखे गए अन्धे किए गए कैदियों के भरण-पोषण से सम्बन्धित युक्ति-युक्त लागत, प्रभार और खर्चों का संदाय भी तब तक राज्य सरकार ही करती रहे जब तक उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जाता। इसलिए हम यह निदेश देते हैं कि राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को क्राइस्ट चर्च होस्टल जाकर होस्टल में रखे गए अन्धे किए गए कैदियों के रहने और खाने-पीने से सम्बन्धित लागत, प्रभार और खर्चों का हिसाब कर ले। हमें यह भी बताया गया है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली में भी कोई नेत्रहीन सहायता संगठन है जो इन अन्धे किए गए कैदियों को भर्ती करने और उनकी देखभाल करने के लिए तैयार है। हम यह समीचीन समझते हैं कि अन्धे किए गए कैदियों को क्राइस्ट चर्च होस्टल से लाजपत नगर, नई दिल्ली स्थित नेत्रहीन सहायता संगठन द्वारा चलाए जा रहे आश्रम को स्थानान्तरित कर दिया जाए जिससे कि अन्धे किए गए कैदियों को समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिल सके। ऐसा करने से अन्धे हो जाने के कारण इन कैदियों के समक्ष जो कठिनाइयां और शारीरिक विवशता की समस्या उत्पन्न हो गई है, उसमें कुछ सीमा तक उन्हें सहायता मिल सकेगी। इसलिए हम यह निदेश करना चाहेंगे कि अन्धे किए गए कैदियों को नेत्रहीन सहायता संगठन, लाजपत नगर, नई दिल्ली द्वारा संचालित आश्रम में ले जाया जाए और उस संस्था में उन्हें रख कर बिहार राज्य सरकार के खर्चे पर समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाए। हम यह भी सुझाव देना चाहते हैं कि श्रीमती हिंगोरानी और बिहार राज्य दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या बिहार में ऐसी कोई संस्था है जो इन अन्धे किए गए कैदियों को रखने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। यदि ऐसी किसी संस्था का पता चलता है तो हम यह निदेश देना चाहेंगे कि अन्धे किए गए कैदियों को वहां ले जाया जाए

1980(12) eILR(PAT) SC 1

और राज्य सरकार के खर्चे पर रखा जाए। इस आदेश के अनुसार नेत्रहीन संगठन, लाजपत नगर द्वारा संचालित संस्था में या किसी ऐसी अन्य संस्था में जहां अन्धे किए गए कैदियों को ले जाया जाए, उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित खर्चे का भार तब तक राज्य सरकार पर होगा जब तक उनके विरुद्ध चल रहे मामलों के सम्बन्ध में विचारण के हेतु उनकी अपेक्षा नहीं की जाए या इस न्यायालय द्वारा आगे कोई अन्य आदेश न किया जाए। यदि किसी अन्य कारण से अन्धे किए गए कैदियों को वापस कारागार में जाना पड़ता है तो उस सम्बन्ध में हम यह निदेश देते हैं कि उन्हें कारागार में समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि जेल में भी वे अपने आपको उत्पादक क्रियाकलाप में लगा सकें और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के खर्चे के लिए कुछ धन कमा सकें और साथ ही जेल से छूटकर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। बिहार राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री के० जी० भगत ने हमें यह बताया है कि हमारे द्वारा किए गए पूर्व आदेश में जिसमें अन्धे किए गए कैदियों के विचारण को स्थगित किया गया था, कुछ त्रुटि होने के कारण अन्धे किए गए कैदियों के विरुद्ध जिन अपराधों के आरोप हैं उनके अन्वेषण कार्य को पुलिस ने रोक दिया है और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम अपने आदेश को इस प्रकार निर्बन्धित कर दें जिससे यह बात स्पष्ट हो जाए कि न्यायालय ने अन्वेषण के सम्बन्ध में कोई व्यादेश नहीं किया है। हम यह समझते हैं कि हमारे द्वारा किया गया आदेश पूर्णतः स्पष्ट है और इसके द्वारा केवल अन्धे किए गए कैदियों के विचारण को ही स्थगित किया गया है और उन अपराधों के संबंध में जो चाहे अन्धे किए गए कैदियों द्वारा या पुलिस द्वारा किए गए हों, के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अन्वेषण की कार्यवाही में कोई रोक नहीं लगाई गई है। वस्तुतः हमारा यह विचार है कि उन अपराधों का अन्वेषण जो अन्धे किए गए कैदियों द्वारा या पुलिस द्वारा किए गए हैं, तत्परता से किया जाना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को अनावश्यक विलम्ब के बिना दण्डित किया जाना चाहिए। हम वस्तुतः यह भी सुझाव देना चाहते हैं कि अन्धे किए गए कैदियों की शरीरिक अक्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में जो अन्धे किए गए कैदियों द्वारा या पुलिस द्वारा किए जाने के लिए आक्षेपित है, अन्वेषण पूरा किया जाए और उनके विरुद्ध यथा-सम्भव शीघ्र आज की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आरोप-पत्र फाइल किया जाना चाहिए। हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पुलिस को और किसी अन्य अन्वेषण अधिकारी को इस बात की छूट होगी कि वह अन्धे किए गए कैदियों की

परीक्षा कर सकेगा और उनके कथनों को ऐसे स्थान पर जहां उन्हें उस समय रखा गया है, अभिलिखित करेगा और यदि यह बहुत आवश्यक हो जाए कि उन्हें अन्वेषण के प्रयोजन के लिए भागलपुर जिले में किसी अन्य स्थान पर ले जाना हो तो उसके लिए राज्य सरकार इस न्यायालय में आवेदन करके ऐसा करने के लिए पिटीशनरों की अधिवक्ता श्रीमती हिंगोरानी को 24 घण्टे का नोटिस देकर प्राप्त कर सकती है। इससे पूर्व हमने अन्धे बनाए गए कैदियों के विचारण को स्थगित करते हुए आदेश केवल इसलिए किया था क्योंकि राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान में उपचार के लिए उन्हें दिल्ली लाए जाने के लिए निदेश दिया गया था और इससे एक कदम और आगे श्रीमती हिंगोरानी यह दलील पेश करना चाहती थी कि उनके द्वारा किए गए आक्षेपित अपराधों के लिए भी उनका विचारण न किया जाए। इस दलील पर हम दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं की सुनवाई उस समय करेंगे जब हम इस दलील पर न्यायनिर्णयन करेंगे। अब हम यह विनिश्चय करना चाहेंगे कि क्या इस आदेश को जो हमने अन्धे किए गए कैदियों के सम्बन्ध में उन मामलों के सम्बन्ध में किया है जिनके विरुद्ध आरोपपत्र-फाइल किए गए हैं, बातिल किया जाए या नहीं। किन्तु इसके साथ ही साथ अन्वेषण कार्यवाही जारी रहनी चाहिए और यथा-सम्भव आज की तारीख से तीन मास के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।

11. हमने 8 जनवरी, 1981 के अपने आदेश द्वारा रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह निदेश दिया कि वे क्राइस्ट चर्च होस्टल और राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान में जाकर अन्धे किए गए कैदियों से इस बात की जांच करें कि वे दिल्ली में ही रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं और यदि वापस जाना चाहते हैं तो कहां जाना चाहते हैं। हमारे द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुसरण में रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने जांच की और उनकी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि क्राइस्ट चर्च होस्टल में रह रहे 15 अन्धे किए गए कैदियों में से 14 दिल्ली में ही रहना चाहते हैं जबकि उनमें से एकमात्र लक्खी महतो जो 1980 के रिट पिटीशन संख्या 5352 के पिटीशनरों में से एक था, वापस भागलपुर जिले में स्थित अपने गांव जाना चाहता है। जहां तक राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान में भर्ती किए गए अन्य दो अन्धे किए गए कैदियों का सम्बन्ध है, उनके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि शीघ्र ही राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान में उनकी शल्य क्रिया की जाएगी। रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट के अनुसार एक और भी अन्धा किया गया कैदी है जिसका नाम दलजीत सिंह है और अखिल भारतीय

1980(12) eILR(PAT) SC 1

आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में टखनों की चोट के लिए उसका इलाज चल रहा है और आगे राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान में उसके उपचार की आवश्यकता होगी। इसलिए वह भी वापस नहीं जा सकता। अब चूंकि क्राइस्ट चर्च होस्टल में रखे गए 15 अन्धे किऐ गए कैदियों में से 14 दिल्ली में ही रहना चाहते हैं इसलिए उन्हें पिछले पैरा में दिए गए निदेशों के अधीन रहते हुए दिल्ली में ही रहने की अनुमति दी जाती है और जहां तक 15वें अन्धे किए गए कैदी लक्खी महतो का प्रश्न है, उसे राज्य सरकार द्वारा आज की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बिहार में अपने जन्मस्थान वापस जाने के लिए एक टिकट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान में भर्ती किए गए दो अन्धे किए गए कैदियों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचाराधीन तीसरे अन्धे किए गए कैदी के उपचार के सम्बन्ध में जो निर्देश हमने पहले दिए हैं उनका पालन राज्य द्वारा किया जाएगा।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि क्राइस्ट चर्च होस्टल में इस समय रह रहे 15 अन्धे किए गए कैदियों में से 10 को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अन्धे किए गए कैदी को संदत्त किए जाने के लिए आदेशित 300 रुपये की रकम प्राप्त हो चुकी है। किन्तु शेष पांच को अभी वह रकम संदत नहीं की गई। इसलिए हम राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों को यह निदेश देते हैं कि क्राइस्ट चर्च होस्टल में जाकर रेवरैण्ड विलसन या उनकी पत्नी अथवा रेवरैण्ड युसुफ सिंह जो क्राइस्ट चर्च होस्टल के भारसाधक हैं, से शेष पांच अन्धे किए गए कैदियों की पहचान करवाकर उनमें से प्रत्येक को तीन सौ रुपये की रकम का संदाय करें। चूंकि अन्धे किए गए कैदियों के पास ठण्डक से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं इसलिए हम यह निदेश देते है कि उनके लिए उतने गर्म कपड़ों की राज्य सरकार के खर्च पर व्यवस्था की जाए जो सामान्यत: जाड़े के महीनों में कैदियों को जेलों में उपलब्ध कराए जाते हैं और दिल्ली स्थित राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारी को इन निदेशों का पालन आज की तारीख से तीन दिन के भीतर कर देना चाहिए।

13. पिटीशनरों की ओर से उपस्थित होते हुए श्रीमती हिंगोरानी ने यह निवेदन किया है कि चूंकि 18 अन्धे किए गए कैदी जिनमें से 15 क्राइस्ट चर्च होस्टल में, 2 राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान में और एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती है और सब के सब दिल्ली में हैं इसलिए राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा संस्थान के डाक्टर मदन मोहन द्वारा उनकी यह राय जानने के लिए परीक्षा कराई जानी चाहिए कि उन्हें किस पद्धति से और किसी रीति में अन्धा किया गया और क्या चिकित्सीय रूप से ऐसा किया जा

सकता है ? हमारा यह विचार है कि श्रीमती हिंगोरानी द्वारा किया गया यह निवेदन युक्तियुक्त और न्यायोचित है और इससे न्यायालय को निश्चय ही इस प्रश्न के अवधारण के लिए सहायता मिलेगी कि क्या पुलिस द्वारा उन्हें अन्धा किए जाने से संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अन्धे किए गए कैदियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है । इसलिए हम यह निदेश देते हैं कि जो 18 अन्धे किए गए कैदी दिल्ली में हैं, उनका परीक्षण राजेन्द्र प्रसाद नेत्र संस्थान के डाक्टर मदन मोहन द्वारा यह अवधारित करने के लिए किया जाएगा कि क्या ऐसा करना चिकित्सीय पद्धति से सम्भव है और डाक्टर मदन मोहन की राय में वह कौन-सी पद्धति या रीति थी जिसमें इन अन्धे किए गए कैदियों से उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई । हम डाक्टर मदन मोहन से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपनी राय हमें 20 जनवरी, 1981 को या उससे पहले दे दें । इन अन्धे किए गए कैदियों को डाक्टर मदन मोहन के समक्ष आज की तारीख से दो दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

14. इन निदेशों के साथ हम रिट पिटीशन की सुनवाई को 15 जनवरी, 1981 तक के लिए स्थगित करते हैं ।

तदनुसार आदेश दिया गया ।

ता०/दि०/भू०